ईमेलः—revenuedlr7@gmail.com

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप—7) विभाग

कमांकः प.3(637)राज—7 / 2023 जयपुर, दिनांकः—10-02-2024

—:आज्ञाः—

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15797/2023 विश्म्भर दयाल व अन्य बनाम जगन्नाथ व अन्य में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2023 में राजस्व न्यायालयों/अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में वर्षो से लम्बित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण बाबत् माननीय उच्च न्यायालय ने संभागीय स्तर पर एरियर रिव्यू कमेटी का गठन किये जाने के निर्देश दिये है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.12.2023 की अनुपालना में एक **स्थायी एरियर रिव्यू कमेटी** का गठन **प्रत्येक संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता** में किया जाता है जिसके सदस्य निम्नानुसार होगें:-

1. अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, **(सदस्य)**।
2. संभाग मुख्यालय पर पदस्थापित राजस्व अपील प्राधिकारी **(सदस्य)**।
3. संभाग में प्रत्येक जिले से संबंधित अतिरिक्त जिला कलक्टर **(सदस्यगण)**।

उक्त कमेटी के निम्न कार्य होगें:-

1 उक्त समिति द्वारा वर्ष में कम से कम 04 बार बैठक (त्रैमासिक) का आयोजन किया जायेगा जिसमें तीन माह का अन्तराल होगा।

2 राजस्व न्यायालयों/अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों की समीक्षा की जावेगी एवं ऐसे सुधारात्मक पद्धतियां अपनाने हेतु अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों को निर्देशित करेगी जो कि प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु उचित हो एवं अत्यधिक पुराने राजस्व प्रकरणों का निरन्तर मॉनिटरिंग करेगी।

3 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में जिला कलक्टर द्वारा प्रेषित लम्वित पुराने प्रकरणों की सूचना जो कि अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह भेजी जायेगी की समीक्षा कर अग्रिम आदेश प्रसारित करेगी।

4 राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक प.3(637)राज-7/2023 दिनांक 09/2/2024 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना भी कराया जाना सुनिश्चित करावें।

उपरोक्तानुसार संभागीय आयुक्त द्वारा नियमित रूप से समीक्षा बैठक आयोजित की जाकर बैठक कार्यवाही विवरण सहित प्रकरण निस्तारण व सुधारात्मक पद्धतियां अपनाने संबंधी प्रतिवेदन और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.12.2023 की अनुपालना रिपोर्ट क्रमशः वर्ष के 05 अप्रैल, 05 जुलाई, 05 अक्टूबर व 05 जनवरी तारीख को राजस्व विभाग को प्रस्तुत करेंगे।

उक्त एरियर रिव्यू कमेटी के द्वारा की गई अनुशंषाओं एवं समीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर की जावेगी।

sd/-
(सुधांश पंत)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

01. विशिष्ठ सहायक, माननीय राजस्व मंत्री।
02. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
03. उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व।
04. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप—1) विभाग।
05. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
06. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
07. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
08. समस्त अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
09. समस्त राजस्व अपील प्राधिकारी / उपखण्ड अधिकारी / तहसीलदार मार्फत संबंधित जिला कलक्टर

अतिरिक्त मुख्य सचिव